न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री टीए संख्या 2005/3504/चुरू

1– मु0 गुलाब बेवा जुतारसिंह पुत्री भोमसिंह जाति राजपूत निवासी मिठड़ी केशरीसिंह हाल राजगढ़ जिला चुरू।

–अपीलांट

–बनाम–

1– महावीर पुत्र तखीराम
2– सोमवीर पुत्र तखीराम
3– ओमप्रकाश पुत्र तखीराम
4– कलूराम उर्फ अन्तरसिंह
समस्त जाति जांगिड़, निवासी मिठड़ी केशरीसिंह तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
5 रेस्मा पत्नी भंवरलाल जाति जांगिड़
निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चुरू
6– चूकी पत्नी मनफूल जाति जांगिड़
निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चुरू
7– धर्मा पुत्री तखीराम पत्नी जुगलाल जाति जांगिड़ निवासी टमकोर जिला झुंझुनू (नाम तर्क आदेश दिनांक 26–09–2011)
8– गुड्डी पुत्री तखीराम पत्नी रतनलाल जाति जांगिड़ निवासी बूटिया तहसील व जिला चुरू।
9– ज्ञाना पत्नी सुगनसिंह पुत्री भोमसिंह जाति राजपूत निवासी मिठड़ी केशरीसिंह हाल राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू
10– राजस्थान सरकार।

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ
डॉ0 शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः–

श्री मदनलाल गर्जुर, अभिभाषक अपीलांट
रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–निर्णय–

दिनांकः–05–05–2026

1– अपीलांट ने यह अपील भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकरी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 03–06–2005 जिसके द्वारा अपीलांट की अपील को खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादीया द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम राजगढ़ के आराजी खसरा नम्बर 48 हाल खसरा नम्बर 66 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, राजगढ़ के समक्ष वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 53 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मूल खातेदार वादीया/अपीलांट के पिता भोमसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड रहा है। भोमसिंह के फौत होने के पश्चात् सजरा खानदान के अनुसार उनके चार वारिसान दो पुत्रियां गुलाब, ज्ञाना व पत्नी तीजा एवं पुत्र जगमाल सिंह हुए। जगमाल सिंह लाऔलाद फौत होने के फलस्वरूप भोमसिंह के तीन विधिक वारिसान हुए, जिनका वादग्रस्त आराजी में 1/3-1/3 हक व हिस्सा निहित होने के आधार पर आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों के घोषणा एवं तदनुरूप विभाजन की मांग की गई। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र, जवाबदावा के आधार पर दादरसी सहित चार तनकीयात् कायम करने व कायम तनकीयात् का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 28-02-2000 के माध्यम से वादीया/अपीलांट के वादपत्र को खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट/वादीया द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 03-06-2005 के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पुष्टि करते हुए वादीया/अपीलांट की अपील को अस्वीकार कर खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलांट द्वारा उक्त द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3- अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस एकतरफा सुनी गई।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादीया/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 53 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम राजगढ़ के आराजी खसरा नम्बर 48 हाल खसरा नम्बर 66 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, राजगढ़ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 53 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2010 में भोमसिंह पुत्र हुणतसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड रहा है। इस प्रकार वादीया/अपीलांट का उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी का हक व हिस्सा निहित है। भोमसिंह के फौत होने के पश्चात् उनके दो पुत्रियां वादी गुलाब व प्रतिवादी संख्या 2 ज्ञाना,

एक पुत्र जगमाल सिंह व पत्नी तीजा विधिक वारिसान हुए। जगमाल सिंह के लाऔलाद फौत हो गया व पुत्री ज्ञाना का विवाह हो गया। वादीया/अपीलांट को घर जवाई रखा गया। इस प्रकार वादी/अपीलांट व भोमसिंह की पत्नी व अपीलांट की माता तीजा वादग्रस्त आराजी पर 1/3-1/3 हिस्सा धारित हुई। वादीया/अपीलांट का वादग्रस्त आराजी जैर में 1/3 हिस्सा हक व हिस्सा निहित है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आगे कथन किया गया कि अपीलांट की माता तीजा द्वारा 1/3 हिस्से के स्थान पर सम्पूर्ण आराजीयात का जरिये विक्रय पत्र दिनांक 12-01-1959 को माहीलाल को बेचान किया गया व माहीलाल पुत्र पतराम द्वारा दिनांक 08-06-1959 के द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात का बेचान हरिसिंह उर्फ हीरसिंह पुत्र हुणतसिंह को बेचान करते हुए कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। कालान्तर में हरिसिंह द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 02-06-1960 को तखीराम को बेचान किया गया। वादीया/अपीलांट द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन एवं घोषणा की मांग किये जाने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर चार तनकीयात कायम की गई। दौराने कार्यवाही जिला कलेक्टर, चुरू के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर जिला कलेक्टर, चुरू द्वारा प्रकरण को सहायक कलेक्टर, राजगढ से सहायक कलेक्टर, चुरू को स्थानान्तरित किया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर वादी के वादपत्र को खारिज किया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जमाबंदी संवत 2012 में तीजा बेवा भोमसिंह कौम राजपूत सा0देह तथा साथ ही खुदकाश्त दर्ज होने के कारण संवत् 2012 से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय तीजा को खातेदारी मिली थी न विरासतन के आधार पर। जमाबंदी संवत् 2013 से 2016 में माहीलाल, हीरसिंह, नानक वल्द उदा खाती के नाम दर्ज है। जिनके द्वारा उचित प्रतिफल देकर तीजा द्वारा आराजी जैर का क्रय करने के पश्चात कब्जा प्राप्त किया गया था। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विधिक स्थिति के विपरीत जाकर अपीलीय न्यायालय ने मात्र सरसरी तौर पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पुष्टि की गई। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। लिहाजा अपीलांट की अपील द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जावे।

6- विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य मे अध्ययन किया गया।

7- हस्तगत् प्रकरण में वादीया/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम राजगढ़ के आराजी खसरा नम्बर 48 हाल खसरा नम्बर 66 रकबा 10

बीघा 15 बिस्वा भूमि के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, राजगढ़ के समक्ष वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 53 के तहत पेश करते हुए कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार अपीलांट/वादी के पिता भोमसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड भूमि रही है। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने के आधार पर अपीलांट/वादीया का 1/3-1/3 हिस्सा निहित है, के खातेदारी अधिकारों की घोषणा व विभाजन की मांग की गई। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र, जवाबदावा व राजस्व अभिलेख के आधार पर अनुतोष सहित चार तनकीयात कायम की गई। विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात् का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलांट/वादीया के वादपत्र को इस आधार पर खारिज किया गया है कि वादग्रस्त भूमि वादीया की विरासतन भूमि नहीं होकर मु. तीजा की खातेदारी भूमि रही है तथा जिनके द्वारा आराजी जैर का बेचान अपने जीवनकाल में दीगर व्यक्तियों को किया जा चुका है। इसी अनुरूप प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलांट/वादी की अपील को आक्षेपित निर्णय व डिक्री के माध्यम से खारिज करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को पुष्टि की गई है। अपीलांट/वादीया द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर हस्तगत् द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की गई।

8- प्रकरण में वादीया/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2010 में वादीया के पिता भोमसिंह का नाम बतौर खातेदार दर्ज होने अर्थात् वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में हमने वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अभिवचनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट/वादीया द्वारा वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2010 में वादीया के पिता भोमसिंह का नाम बतौर खुदकाश्त अंकित है। इसके विपरीत जमाबन्दी संवत् 2012 में वादीया की माता मु0 तीजा बेवा भोमसिंह कौम राजपूत साकिन देह खुदकाश्त दर्ज है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत मु0 तीजा को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए हैं। लिहाजा वादग्रस्त भूमि मु.तीजा को बतौर विरासत अर्थात् भोमसिंह के धारण की भूमि होने के आधार पर प्राप्त नहीं होना जाहिर है। जबकि प्रकरण में अपीलांट/वादीया का आराजी जैर पर खातेदारी अधिकारों के सृजन की मांग का मुख्य आधार राजस्व रिकार्ड यथा सवंत् 2010 से उनके पिता भोमसिंह का नाम दर्ज रिकार्ड होने एवं कब्जा काश्त होने एवं उनके फौत होने के उपरान्त अपीलार्थी/वादी का निरन्तर एवं निर्बाध कब्जा काश्त होने का रहा है। इस संबंध में विधिक स्थिति यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत पक्षकार का कब्जा काश्त सवंत् 2012 से होना आज्ञापक है। प्रकरण में चूंकि अपीलांट/वादीया द्वारा अपने वादपत्र के कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया

गया है, जिससे यह जाहिर हो सके कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट/वादीया के पिता भोमसिंह का कब्जा संवत् 2012 (कानून लागू होने की दिनांक) को रहा हो। इस संबंध में हमने विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 19 में अभिनिर्धारित किया गया है किः–

Conferment of rights on certain tenants of Khudkasht and sub-tenants- (1) Every person who, at the commencement of this Act-

(a) was entered in the annual registers then current as a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land other than grove land, or

(b) was not so entered but was a tenant of Khudkasht or subtenant of land, other than grove land, Shall as from the date of commencement of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1959, hereinafter in this Chapter referred to as the appointed date, become, subject to the other provisions contained in this Chapter, the Khudkasht tenant of such part of the land held by him as does not exceed the minimum area prescribed by the State Government for the purpose of clause (a) of sub-section-

(1) of section 180 or exceeds the maximum area from which such person is liable to ejectment under clause (d) of the said sub-section of the said section and rights in improvements in such part of the said land shall also accrue to such person: Provided that khatedari rights or rights in improvements shall not so accrue- (i) if such part of the said land is held from any of the persons enumerated in Section 46, or (ii) if such rights therein may not accrue under the proviso to sub-section (1) of section 15 or under section 15A or under section 15B or under section 16, or (iii) if such person has, after the commencement of this Act, and before the appointed date, ceased to be such tenant of Khudkasht or sub-tenant by virtue of lawful surrender or abandonment in accordance with the provisions of this Act or because of his having been ejected in accordance with the provisions by and under the decree or order of a competent Court.

धारा 19 (1) के प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि उक्त धारा की उपधारा (1) (ए) के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने के लिये सम्वत 2012 अर्थात् अधिनियम, 1955 लागू होने की दिनांक 15–10–1955 के वार्षिक रजिस्टरों में बतौर ‘‘खुदकाश्त का कृषक अथवा उपकृषक’’ (Tenant of Khudkasht or sub-tenant) दर्ज होना चाहिये। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि 15–10–1955 के पहले कितने लम्बे समय से और उसके बाद भी कितने लम्बे समय तक वादी काबिज–काश्त रहा, अपितु महत्वपूर्ण यह है कि अधिनियम, 1955 लागू होने की

दिनांक को वह काबिज-काश्त था या नहीं। अपीलांट/वादीया द्वारा प्रस्तुत एवं विचारण न्यायालय द्वारा विवेचित दस्तावेजी साक्ष्यों में कोई भी दस्तावेज 2012 में अपीलांट/वादीया के पिता भोमसिंह का कब्जा व काश्त बतौर खुदकाश्त नहीं बताता है। धारा 19 अधिनियम, 1955 के लिये महत्वपूर्ण संदर्भ वर्ष सम्वत 2012 है। इस प्रकार वादीया का दावा धारा 19 (1) (ए) के प्रावधानों के अनुसार भी सिद्ध नहीं है। अतः अपीलांट/वादीया अपने पिता भोमसिंह का नाम सवंत् 2010 के राजस्व रिकार्ड में होने अथवा कब्जे काश्त के आधार पर आराजी जैर पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। यहाँ यह अभिलिखित किया जाना भी समीचीन है कि अपीलांट/वादीया द्वारा वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग की गई है। जबकि उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त के संबंध में कोई राजस्व रिकार्ड वादपत्र के साथ बतौर प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ वह अपने बयानों में विगत् 30 वर्षो से राजगढ़ में निवास होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में बिना कब्जे काश्त के धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुतोष प्रदत्त नहीं किया जा सकता है।

9- प्रकरण में अन्य विचारणीय बिन्दु यह भी है कि वादग्रस्त भूमि की स्वामिनी मु. तीजा द्वारा आराजी जैर का बेचान क्रमशः माहीलाल को, माहीलाल द्वारा हरिसिंह को व अंतिम रूप से हरिसिंह द्वारा प्रतिवादी तखीराम को किया जा चुका है। प्रतिवादी तखीराम को उक्त बेचान वर्ष 1960 में किया गया है, जबकि अपीलांट/वादीया द्वारा वादपत्र वर्ष 1997 में प्रस्तुत किया गया है। इस दरमियान् अपीलांट/वादीया द्वारा उक्त बेचाननामों को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही की गई हो, ऐसा प्रमाण भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, नाही अपीलांट/वादीया द्वारा आराजी जैर के बेचान के उपरान्त स्वीकृत नामान्तरकरण को चुनौती दी गई हो, ऐसा प्रमाण भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में निष्पादित किये गये पंजीकृत विक्रय पत्रों को विधि अमान्य घोषित करने का हम कोई विधि सम्मत आधार विद्यमान होना नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उपरोक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही वादीया/अपीलांट के क्रमशः वादपत्र एवं प्रथम अपील को खारिज किया गया है।

10- योग्य अधिवक्ता अपीलांट/वादीया द्वारा द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं राजस्व रिकार्ड के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो ऐसे समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये हैं, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आदेश है कि- अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकरी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 03-06-2005 व अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, चुरू के निर्णय व डिक्री दिनांक 28-02-2000 यथावत बहाल रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(डॉ0 शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य